

07<sup>03</sup>/<sub>24</sub> आज यह पत्रावली पेश डी. कोर्ट  
 भी उपर नहीं आये। वादी एवं वादी  
 वकील को बार-बार आवाज लगाई  
 गई कोर्ट भी उपस्थित नहीं आये। न  
 ही वादी प्रतिवादी की बलबी हेड बलवाना  
 पेश किये जा रहे हैं। जिलेन वादी की  
 उम्ह वाद को आगे-चलाने में शर्च  
 प्रारिह होती है। अत्र वादी के वाकपुद  
 रचना के अउपस्थित रहने तथा जजिरी  
 के बलवाना जय नहीं कोन ले पत्रावली  
 अदम हाजरी अदम पेची व 09/05  
 में खालि की जाती है। पत्रावली  
 जौलल थुमार होकर नम्बर से कम  
 है। वाद प्रति दाखिल दफतर है।

सहायक कलक्टर  
 बहरोड़  
 (कोटपूतली-बहरोड़)